②

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

सुरजीत सिंह वगैरह बनाम जसवन्त सिंह आदि

किस्म मुकदमा रा.का. 53,88 न. 1/30/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-2-19.	आज वकील वादी द्वारा दावा पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी जारी कर, पत्रावली दि० 28.3.19 को पेश हो। SDO किशनगढ़बास	
28.3.19.	पत्रा० पेश हुई। व० वादी उप०। प्रतिवादीगण की तलबी की इन्तजार में पत्रा० दि० 16.5.19 को पेश हो।	
16.5.19	वादी के वकील/वकुलाव उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। ... पेश किया। ... दिलाई गई। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 21.6.19 को पेश हो।	
21.6.19	आज पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। पुनः तलबाना पेश करने पर तलबी जारी हो बाद तामील दि० 6.8.19 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
13.12.23	......वकील.......वादी अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक.........21.6.19.... की पालना में पत्रावली बाबत......तलबी रिकार्ड/फर्द अंतिम पेश दिनांक....10.1.24.....को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
10/1/24	पत्रावली पेश। P.O. साहब...V.B.S.I.... कैम्प कार्य में व्यस्त.......है। पत्रावली दिनांक.....08/02/24.....को पेश हो। [signature] रीडर
08.2.24	पत्रावली प्रस्तावित हुई। पत्रावली दीर्घावधि से प्रतिवादीगण की चल रही है। वादीगण को पुन तलबाना पेश करने हेतु बार-बार आदेश दिये जा चुके है। परन्तु आदिनांक तक वादीगण ने फ्रेश तलबाना पेश नहीं किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 के आलोक में पत्रावली को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: दावा सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलल शूमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०